

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3071

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

3071. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

- (क) वर्ष 2014 से 2024 तक कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल के लिए योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश भर में, विशेषकर करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु राज्य में कार्यरत कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार प्रत्येक जिले में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार तमिलनाडु के करूर में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल खोलने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) वर्ष 2014 में 2024 तक तमिलनाडु में योजना के अंतर्गत प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है तथा योजना के अंतर्गत आवेदनों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं; और
- (च) सरकार द्वारा योजना के विज्ञापन/प्रचार करने या प्रोत्साहन देने का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री  
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ) सर्वसमावेशी मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) मांग आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके कार्यान्वयन के लिए सीधे निधियां जारी की जाती हैं। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, वहां कामकाजी महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधा के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक स्थानों में आवासों की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत किराए के परिसरों में सखी निवास के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनकी आवश्यकता का आकलन

करते हैं और कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावों का अनुमोदन करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-2024 तक सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) के तहत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक- I** में दिया गया है।

इस समय तमिलनाडु सहित देश भर में 463 सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) कार्य कर रहे हैं। इस समय, तमिलनाडु के करूर जिले में कोई सखी निवास कार्यशील नहीं है। केन्द्र सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से करूर जिले में सखी निवास की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ड.) से (च) 2014 से 2024 की अवधि के दौरान, वित्तीय वर्ष 2020-21 में तमिलनाडु राज्य सरकार से त्रिची, गुडुवनचेरी और तांबरम में कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए केवल तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। त्रिची, गुडुवनचेरी और तांबरम के प्रस्तावों को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान मंजूरी दी गई थी। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अधिग्रहण दर में वृद्धि करने के लिए छात्रावासों के प्रचार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से की जा रही है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक- I

तमिलनाडु में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल विषय पर सुश्री एस. जोतिमणि, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा दिनांक 09.08.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3071 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-2024 तक सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) के तहत जारी धनराशि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण:

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आन्ध्र प्रदेश	326.47	181.08	247.88	0.00	476.93	146.49	0.00	0.00	0.00	21.52
अरुणाचल प्रदेश	88.48	268.42	192.54	193.46	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00	8.83	7.77	0.00	7.76	0.00	0.00	61.47
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	0.00	26.68
गुजरात	0.00	0.00	0.00	183.76	0.00	0.00	0.00	69.70	0.00	46.46
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	265.83	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00	9.29
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
कर्नाटक	46.67	0.00	0.00	973.66	0.00	482.5	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	20.67	244.80	932.17	0.00	252.56	901.5	0.00	273.97	384.00	48.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	347.99	0.00	244.03	0.00	0.00	191.19	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.00	251.76	0.00	7.17	161.43	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	170.62	136.50	0.00	40.88	0.00	0.00
मणिपुर	35.32	92.08	149.74	462.27	915.51	169.49	990.61	164.70	784.85	58.87
नागालैण्ड	58.53	181.03	442.48	600.56	419.58	244.24	223.67	96.09	0.00	175.15
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिल नाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.18	350.25	593.94	0.00
तेलंगाना	322.89	0.00	0.00	0.00	268.91	746.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>899.03</b>	<b>1219.17</b>	<b>2312.80</b>	<b>2695.54</b>	<b>3034.10</b>	<b>3075.18</b>	<b>1650.60</b>	<b>1192.24</b>	<b>1762.79</b>	<b>452.24</b>

\*\*\*\*\*